



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26]

नवा रायपुर, गुरुवार, दिनांक 15 जनवरी 2026 — पौष 25, शक 1947

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 15 जनवरी 2026

अधिसूचना

क्रमांक GEN-11/4457/2025-Revenue/सात-3.— राज्य शासन, एतद्वारा छत्तीसगढ़ नागरिक नाम परिवर्तन प्रक्रिया एवं मार्गदर्शिका, 2025 निर्मित करता है, अर्थात्:-

मार्गदर्शिका

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ :-

(1) ये मार्गदर्शिका, छत्तीसगढ़ नागरिक नाम परिवर्तन प्रक्रिया एवं मार्गदर्शिका, 2025 कहलाएंगे।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा।

(3) ये मार्गदर्शिकाएं, राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगी।

2. परिभाषा :- इन मार्गदर्शिकाओं में, जब तक की संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित हो, -

(क) “नाबालिक” से अभिप्रेत है, व्यक्ति जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है।

(ख) “प्ररूप” से अभिप्रेत है, इन मार्गदर्शिकाओं से संलग्न प्ररूप।

(ग) “राज्य शासन” से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन।

3. आवेदन :-

(1) आवेदक को लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से ऑनलाइन पोर्टल (<http://edistrict.cgstate.gov.in>) पर निर्धारित प्ररूप में आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

(2) आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों को अपलोड करने की आवश्यकता होगी :-

(क) 430 रु. (चार सौ तीस रुपये मात्र) का भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा से चालान की मूल प्रति। (हेड – 0058 – मुद्रण तथा लेखन सामग्री, 102 – राजपत्र आदि के प्रकाशन एवं अन्य प्राप्तियाँ)

(ख) स्थानीय समाचार पत्र में नाम परिवर्तन के प्ररूप-एक में सूचना के प्रकाशन की मूल प्रति (आवेदन की तारीख से तीन माह से अधिक पुराना ना हो)।

(ग) दो गवाहों के नाम, हस्ताक्षर एवं पते के साथ प्ररूप-दो में विलेख प्ररूप की मूल प्रति।

(घ) 50 रु. के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर में प्ररूप-तीन में नोटरीज्ड शपथ पत्र (आवेदन की तारीख से तीन माह से अधिक पुराना ना हो)।

(ङ) सभी प्रकार के दस्तावेज/पहचान पत्र/आई डी, जिनका शपथ पत्र में उल्लेख किया गया हो।

(3) आवेदन प्रस्तुत होने के पश्चात् संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार के पोर्टल में इसे प्रेषित किया जाएगा तथा आवेदक को एक ARN No. प्राप्त होगा।

4. तहसीलदार पोर्टल पर प्रक्रिया :-

(1) तहसीलदार पोर्टल में आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन के ARN No. के आधार पर तहसीलदार द्वारा access किया जाएगा।

(2) तहसीलदार द्वारा आवेदक से प्राप्त दस्तावेजों की जांच की जाएगी। प्राप्त आवेदन में किसी भी प्रकार की कमी या त्रुटि होने की दशा में, आवेदन अमान्य किया जाएगा। दस्तावेज सही होने पर, संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के पोर्टल में इसे प्रेषित कर दिया जाएगा।

5. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पोर्टल पर प्रक्रिया :-

(1) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पोर्टल में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा तहसीलदार पोर्टल से प्राप्त आवेदन का access किया जाएगा।

(2) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा आवेदक के दस्तावेजों की जांच की जाएगी। आवेदन में कमी या त्रुटि होने पर इसे अमान्य किया जाएगा। यदि दस्तावेज सही है, तो आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन का सत्यापन DSC के द्वारा किया जाएगा तथा इसे शासकीय मुद्रणालय पोर्टल में प्रेषित कर दिया जाएगा।

6. शासकीय मुद्रणालय पोर्टल पर प्रक्रिया :-

(1) शासकीय मुद्रणालय पोर्टल में उप-संचालक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पोर्टल से प्राप्त आवेदन पर Access किया जाएगा। आवेदन में नाम परिवर्तन हेतु आवश्यक दस्तावेजों की जांच की जाएगी तथा किसी कमी या त्रुटि की दशा में आवेदन पर अमान्य किया जाएगा। यदि दस्तावेज सही है, तो उसे DSC के द्वारा सत्यापित किया जाएगा तथा साधारण राजपत्र **भाग-3(1)** में प्रकाशन की कार्यवाही की जाएगी।

(2) राजपत्र में प्रकाशन के उपरान्त, राजपत्र की सॉफ्ट कॉपी, आवेदक के ARN No. पर अपलोड कर दी जाएगी। नाम परिवर्तन की अधिसूचना, छत्तीसगढ़ शासन की वेबसाइट <https://egazette.cg.nic.in> से भी प्राप्त की जा सकती है।

7. समय सीमा :-

(1) तहसीलदार पोर्टल पर प्रक्रिया, 07 कार्य दिवस के भीतर पूर्ण की जाएगी।

(2) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पोर्टल पर प्रक्रिया, 07 कार्य दिवस के भीतर पूर्ण की जाएगी।

(3) शासकीय मुद्रणालय पोर्टल पर प्रक्रिया, 15 कार्य दिवस के भीतर पूर्ण की जाएगी।

8. निरसन एवं व्यावृत्ति:-

- (1) इन मार्गदर्शिकाओं के प्रकाशन के दिनांक से, इस प्रक्रिया के संबंध में पूर्व में जारी नियम, मार्गदर्शिका एवं निर्देश निरसित समझे जाएंगे।
- (2) उपरोक्तानुसार निरसित नियम/निर्देश के अंतर्गत की गई विधिक कार्यवाहियाँ, निरसन से अविधिमान्य नहीं होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण कुमार मरकाम, उप-सचिव.

प्ररूप-(एक)**समाचार प्रपत्र में प्रकाशित की जाने वाली सूचना**

मैं..... (पुराना नाम, जिसे बदला जाना है)
 सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी..... गाँव /शहर.....
 तहसील..... जिला..... छत्तीसगढ़ ने अपना
 नाम..... (पुराना नाम) से बदल कर.
 (नया नाम) रख लिया है ।

हस्ताक्षर (पुराने नाम से)

नाबालिग पुत्री/पुत्र के नाम परिवर्तन के मामले में (अभिभावक/पालक द्वारा प्रमाणित)

मैं..... (माता/पिता/पालक का नाम)
 सुपुत्र/सुपुत्री..... गाँव /शहर.....
 तहसील..... जिला..... छत्तीसगढ़ राज्य ने
 अपने नाबालिग सुपुत्र/सुपुत्री का नाम (पुराना नाम) से बदल कर
 (नया नाम) रख लिया है ।

माता/पिता/पालक के हस्ताक्षर

प्ररूप- दो
नाम/उपनाम परिवर्तन संबंधी विलेख

इस विलेख द्वारा मैं निम्न हस्ताक्षरकर्ता क ख ग (नया नाम) निवासी

जिसे अब तक क ग (पुराना नाम) कहा जाता था तथा जो

(संबंधित शासकीय सेवक द्वारा इस मय धारित पद का नाम, के पद पर नियोजित हूँ)

1. अपने, अपनी पत्नी, अपने बच्चों और अपनी दूरतर संतान के लिए तथा अपनी ओर से अपने पूर्व उपनाम व केवल उपयोग को पूर्णतः त्यागता हूँ, छोड़ता हूँ तथा उसका परित्याग करता / करती हूँ। उसके स्थान पर इस विलेख की तारीख से उपनाम क ख ग अंगीकार करता हूँ, जिसके लिये कि मुझे तथा मेरी पत्नी एवं मेरे बच्चों और मेरी दूरतर संतान को मेरे द्वारा अंगीकार किये गये उपनाम क ख ग से ही पुकारा जाये व जाना जाये और पहचाना जाये न कि मेरे पूर्व नाम क ग (केवल से)
2. अपने इस निश्चय को प्रकट करने के प्रयोजनार्थ, एतद्वारा मैं घोषणा करता हूँ कि मैं इसके पश्चात समस्त समयों पर अभिलेखों, दस्तावेजों में और समस्त कार्यवाहियों तथा संव्यवहारों में, चाहे वे प्राइवेट या सरकारी संव्यवहार हो और समस्त अवसरों पर पूर्व उपनाम क ग (केवल) के स्थान पर उसकी जगह उपनाम क ख ग का ही उपयोग करूंगा और इसी उपनाम से हस्ताक्षर करूंगा।
3. मैं समस्त व्यक्तियों को अभिव्यक्त रूप से प्राधिकृत करता हूँ तथा निवेदन करता हूँ कि वे इसके पश्चात समस्त समयों पर मुझे तथा मेरी पत्नी एवं मेरे बच्चों और दूरतर संतान को तद्वसार ऐसे अंगीकृत उपनाम से ही नामोदृष्टि तथा संशोधन करे।

जिसके साक्ष्य में मैंने अपने पूर्व तथा अंगीकृत उपनामों क ग तथा क ख ग से इस पर हस्ताक्षर कर दिये हैं और तारीख.....माह..... को अपनी मुद्रा लगा दी है।

उपरोक्त लिखित क ख ग जिसे पूर्व में क ग कहा जाता था द्वारा (क ख ग) की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये गये मुद्रा अंकित की गई।

हस्ताक्षर (क ख ग)

नया नाम

गवाह:-

1. हस्ताक्षर.....

नाम.....

पता.....

2. हस्ताक्षर.....

नाम.....

पता.....

प्ररूप-(तीन)**शपथपत्र का प्ररूप**

(50 रू का नॉन-ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

मैं(पुराना नाम, जिसे बदला जाना है) सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी
निवासी एतद्वारा मैं पूर्णतः पुष्टि करता हूँ तथा
 निम्नानुसार घोषित करता हूँ ;

1. मैं का स्थायी निवासी हूँ।
2. मेरा पुराना नाम है और मैं अपना नाम बदलकर
 (नया नाम) करवाना चाहता/चाहती हूँ।
3. मेरे पुराने नाम से किसी भी न्यायालय में कोई भी प्रकरण लंबित नहीं है और न ही किसी बैंक में ऋण की राशि शेष है।
4. मैं नाम बदलकर, यदि कोई, गैर कानूनी काम करता/करती हूँ , तो उसके लिए मैं पूर्णतः स्वयं जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी ।
5. मैं यह शपथ पत्र अपने पूरे होशोहवास में रहकर हस्ताक्षर कर रहा हूँ/रही हूँ तथा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ/रही हूँ।

शपथपत्र (नाबालिग पुत्र/पुत्री के नाम परिवर्तन के मामले में)

मैं..... (माता/पिता/पालक का नाम) सुपुत्र/ पत्नी
निवासी एतद्वारा पूर्णतः पुष्टि करता हूँ और
 निम्नानुसार घोषित करता हूँ ;

1. मैं का स्थायी निवासी हूँ।
2. मैं अपने नाबालिग पुत्र/पुत्री..... से बदलकर
 करवाना चाहता/चाहती हूँ।
3. मैं अपने पुत्र/पुत्री का नाम बदलकर, यदि कोई, गैर कानूनी काम करता/करती हूँ तो उसके लिए स्वयं जिम्मेदार रहूंगा/ रहूंगी ।
4. मेरी पत्नी/पति.....(पत्नी/पति का नाम) को हमारे/हमारी नाबालिग पुत्र/पुत्री के नाम बदलने में कोई आपत्ति नहीं है।
5. मैं यह शपथ पत्र अपने पूरे होशोहवास में रहकर हस्ताक्षर कर रहा/रही हूँ तथा सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ ।

Nava Raipur Atal Nagar, the 15th January 2026

NOTIFICATION

No. GENS-11/4457/2025-REVENUE/Seven-3.— The State Government, hereby, makes the following "The Chhattisgarh Citizen Name for Change Procedure and Guidelines, 2025," namely:-

GUIDELINES

1. Short title, extent and commencement :-

- (1) These Guidelines shall be called the Chhattisgarh Citizen Name for Change Procedure and Guidelines, 2025.
- (2) They shall extend to the whole State of Chhattisgarh.
- (3) These Guidelines shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. Definitions :- In these Guidelines, unless the context otherwise requires,-

- (a) "Minor" means a person who is under 18 years of age.
- (b) "Form" means the form appended to these Guidelines.
- (c) "State Government" means the Government of Chhattisgarh.

3. Application :-

- (1) The applicant shall have to submit the application in the prescribed form through the Lok Seva Kendra (LSK) on the online portal (<http://edistrict.cgstate.gov.in>).
- (2) The following documents shall be required to be uploaded along with the application:-
 - (a) The original copy of a challan of ₹ 430/- from any branch of the State Bank of India. (Head – 0058 Printing and Stationery, 102 Publication of Gazette, etc., and other receipts).
 - (b) The original copy of the publication of the notice for name change in Form-I in a local newspaper (should not be more than 03 months old from the date of application).
 - (c) The original copy of the Deed Form in Form-II with the names, signatures and addresses of 02 witnesses.
 - (d) A notarized affidavit in Form-III on a ₹ 50 non-judicial stamp paper (should not be more than 03 months old from the date of application).
 - (e) All types of documents/identity cards/IDs that have been mentioned in the affidavit.
- (3) After the application is submitted, it shall be forwarded to the portal of the Tahsildar of the concerned area and the applicant shall receive an ARN No.

4. Procedure on the Tahsildar Portal :-

- (1) The application submitted by the applicant shall be accessed by the Tahsildar on the Tahsildar portal based on the ARN No.
- (2) The documents received from the applicant shall be checked by the Tahsildar. In case

of any defect or error in the received application, the application shall be rejected. If the documents are correct, it shall be forwarded to the portal of the Sub-Divisional Officer (Revenue) of the concerned area.

5. Procedure on the Sub-Divisional Officer (Revenue) Portal :-

- (1) The Sub-Divisional Officer (Revenue) shall access the application received from the Tahsildar portal on the Sub-Divisional Officer (Revenue) portal.
- (2) The documents of the applicant shall be examined by the Sub-Divisional Officer (Revenue). In case of any defect or error in the application, it shall be rejected. If the documents are correct, the application submitted by the applicant shall be verified by (DSC) and forwarded to the Government Press portal.

6. Procedure on the Government Press Portal :-

- (1) The application received from the Sub-Divisional Officer (Revenue) portal shall be accessed by the Deputy Director on the Government Press portal. The necessary documents for the name change in the application shall be checked and in case of any defect or error, the application shall be rejected. If the documents are correct, they shall be verified by (DSC), and action for publication in the Ordinary Gazette Part-3(1) shall be taken.
- (2) After publication in the Gazette, a soft copy of the Gazette shall be uploaded against the applicant's ARN No. The name change notification can also be obtained from the Chhattisgarh Government's website <https://egazette.cg.nic.in>.

7. Timeline :-

- (1) The procedure on the Tahsildar portal shall be completed within 07 working days.
- (2) The procedure on the Sub-Divisional Officer (Revenue) portal shall be completed within 07 working days.
- (3) The procedure on the Government Press portal shall be completed within 15 working days.

8. Repeal and Saving :-

- (1) From the date of publication of these Guidelines, the rules, Guidelines and instructions previously issued in connection with this process shall be deemed to be repealed.
- (2) Any legal proceedings conducted under the repealed rules/instructions as mentioned above shall not be invalidated by the repeal.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ARUN KUMAR MARKAM, Deputy Secretary.

FORM-I
NOTICE TO BE PUBLISHED IN NEWSPAPER FORM

I, (Old Name, which is to be changed).....
 S/W/D/o.....Village/City.....
 .. Tahsil..... District Chhattisgarh have
 changed my name from (Old name) to
 (new name)

Signature (old name)

In case of Minor Son/ Daughter Name Change (Attested by
Parents/ guardian)

I, (Father /Mother/Guardian name)
 S/o, W/o.....Father/Mother/Guardian of
(Son/Daughter Name),Village/City.....
 Tahsil....., District, Chhattisgarh, have changed
 my minor Son/ Daughter name from.....(old name)
 to..... (new name)

Signature (parents/ Guardian)

FORM - II
NAME/SURNAME CHANGE DEED

By this deed I the undersigned A B C (new name) resident of.

Which was till now called A C (old name) and which

(I am employed on the post with the name of the post held by the concerned Government servant)

1. For and on behalf of myself, my wife, my children and my extended children, I hereby completely renounce, relinquish and abandon the use of my former surname and surname only. I hereby adopt in its place, with effect from the date of this deed, the surname ABC. So that I and my wife, my children and my extended children shall be called, known and identified by the surname ABC adopted by me and not by my former name A C (only).
2. In order to express my determination, I hereby declare that at all times hereafter in all records, documents and in all proceedings and transactions, whether private or Government dealings, and on all occasions, I shall use the surname A B C in place of the previous surname A C (only) and will sign with this surname.
3. I expressly authorize and request all persons to refer to me and my wife and my children and distant descendants by the surname so adopted and amended accordingly at all times hereafter.

In witness where of I have hereunto signed my former and adopted surnames A C and A B C and have hereunto affixed my seal dated.....month.....

Signed and sealed by the above named ABC, formerly called A C, in the presence of (ABC).

Signature(s)(ABC)
New Name

Witnesses:-

1. Signature.....

Name.....

Address.....

2. Signature.....

Name.....

Address.....

FORM-III
AFFIDAVIT FORMAT
(non-judicial stamp on ₹ 50)

I, ... (old name, which is to be changed)
 Son/Wife/Daughter of resident of do
 hereby solemnly affirm and declared as under;

- 1 That I am a permanent resident of
- 2 That my old name is And I want to
change my name to
(new name)
- 3 That neither any court case in any court nor is any bank loan is pending
against my old name.
- 4 That I will be solely responsible myself for any illegal activity, if any, is
carried out by me after changing my name.
- 5 That I am signing this affidavit while being in full senses and presenting it
before the competent authority.

Affidavit Format (in case of Minor Son/ Daughter Name Change)

I, ... Son/Wife of
 resident of do hereby
 solemnly affirm and declared as under;

- 1 That I am a permanent resident of
.....
- 2 That I want to change my Minor Son/ Daughter from.....
.....to.....
- 3 That I will be solely responsible myself for any illegal activity, if any, is
carried out by me after changing the name of my Minor Son/ Daughter.
- 4 That my wife/ husband (the name of
wife / husband) has no objection for changing the name of our Minor Son/
Daughter.
- 5 That I am signing this affidavit while being in full senses and presenting it
before the competent authority.